सं: 1:05:138:II:सीएस
दिनांक : 09.08.2018

National Stock Exchange of India Limited, Listing Department, Exchange Plaza, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E) <u>MUMBAI</u> - <u>400 051.</u> नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड लिस्टिंग विभाग, एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई-400 051	**Bombay Stock Exchange Limited, Department of Corporate Services, Floor - 25, PJ Towers, Dalal Street, <u>MUMBAI</u> - <u>400 001.</u> बंबई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, कॉर्पोरेट सेवाएं विभाग, मंजिल-25, पी. जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई-400 001**
ध्यानकर्षण: सुश्री रेहाना डिसूजा सहायक उपाध्यक्ष	**ध्यानकर्षण: श्री अय्यर गोपालकृष्णन, महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवाएं**
फ़ैक्स सं. 022-26598237/38, 022-66418125/26/24	**फ़ैक्स सं. 022-22723121, 022-22722037/39/41/61**

विषय: वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 32वीं एजीएम की सूचना

महोदय/ महोदया,

शेयरधारकों को भेजी गई वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए कंपनी की वार्षिक आम बैठक की सूचना की सॉफ्ट कॉपी एतदद्वारा संलग्न है।

धन्यवाद,

भवदीय,
कृते पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(मनोहर बलवानी)
कंपनी सचिव
mb@pfcindia.com

पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड

सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत

टेलीफोन-: +91 11 23456000, फैक्स: +91 11 23412545, ईमेल: investorsgrievance@pfcindia.com

वेबसाइट: www.pfcindia.com

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लिखित व्यवसाय संव्यवहार के लिए पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों की बतीसवीं वार्षिक आम सभा का आयोजन **मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को प्रात: 10.30 बजे** तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110004 में किया जाएगा:-

साधारण संव्यवहार

1. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों, लेखा परीक्षित विवरणों सहित उसमें शामिल कंपनी के निदेशक मंडल तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, विचार करना एवं अंगीकार करना।

2. वित्तीय वर्ष 2017-18 के कुल लाभांश के रूप में अंतरिम लाभांश की पुष्टि करना।

3. रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र एवं पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (डीआईएन:02271398) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

4. सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक निर्धारित करना।

विशेष संव्यवहार

5. श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष (डीआईएन: 07970522), की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति तथा इस संबंध में विचार एवं योग्य पाए जाने की स्थिति में **विशेष संकल्प** के तौर पर निम्नलिखित संकल्प संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) पारित करना :

   "**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 149, 142 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के अनुसरण में श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष (डीआईएन: 07970522), जिन्हें विद्युत मंत्रालय के दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के पत्र संख्या 20/8/2016-समन्वय (खंड-II) के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था, तथा तदंनतर कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 161 के अनुसरण में उन्हें निदेशक मंडल द्वारा इस वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि तक के लिए 3 नवंबर, 2017 से अपर निदेशक नियुक्त किया गया था तथा कंपनी द्वारा श्रीमती गौरी चौधरी से लिखित में कंपनी में निदेशक के पद की अपनी उम्मीदवारी के विवरण के साथ नोटिस प्राप्त किया गया है, अत: अब उन्हें एतद्द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों पर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्त किया जाता है।"

6. भारत में तथा / अथवा भारत से बाहर निजी प्रतिस्थापन आधार पर ₹65,000 तक निधि जुटाने के लिए बॉण्ड/डिबेंचर/ऋण प्रतिभूतियां जारी करना तथा इसके संबंध में विचार करना तथा उचित पाए जाने की स्थिति में **विशेष संकल्प** के तौर पर निम्नलिखित संकल्प संशोधन अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साथ पारित करना:

"**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण एवं आबंटन) नियमावली 2014 के नियम 14(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसरण में एतद्द्वारा प्रतिभूत/अप्रतिभूत, विमोचन योग्य, अपरिवर्तनीय, कर योग्य / कर मुक्त, सीनियर / सबओर्डिनेटिड बॉण्डस /डिबेंचर्स/ नोट्स/ ऋण प्रतिभूतियों का चालू वार्षिक आम बैठक की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर भारत तथा / अथवा भारत के बाहर निजी प्रतिस्थापन के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने का अनुमोदन प्रदान किया जाता है।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत गठित अन्य किसी समिति सहित) एतद्द्वारा चालू वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि में भारत तथा / अथवा भारत के बाहर निजी प्रतिस्थापन के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने के लिए प्रतिभूत/अप्रतिभूत, विमोचन योग्य, अपरिवर्तनीय, कर योग्य / कर मुक्त, सीनियर / सबओर्डिनेटिड बॉण्डस /डिबेंचर्स/ नोट्स/ ऋण प्रतिभूतियों ("बॉण्डस) में अंशदान करने के प्रस्ताव (प्रस्तावों) अथवा आमंत्रण (आमंत्रणों) को जारी के लिए प्राधिकृत है तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है तथा उसे बॉण्डस जारी करने के संबंध में आवश्यक समझे गए सभी कृत्य, क्रियाएं एवं कार्य करने का प्राधिकार होगा जिसमें अन्यों के साथ साथ अंकित मूल्य, इश्यू आकार, समय, राशि, सुरक्षा, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, लिस्टिंग, आबंटन तथा बॉण्डस के इश्यू की अन्य नियम एवं शर्तें विवेकानुसार आवश्यक समझे गए कार्य भी शामिल होंगे।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** कंपनी का निदेशक मंडल (निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किसी प्राधिकारी द्वारा विधिवत गठित अन्य किसी समिति सहित) एतद्द्वारा उक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक समझे गए ऐसे सभी कृत्य, क्रियाएं तथा कार्य करने के लिए प्राधिकृत है तथा एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।"

7. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरणकर्ता कंपनी) का समामेलन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232, जो उसके अध्याधीन निर्मित नियमों एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 582 (ई) के साथ पठनीय है, के अंतर्गत उनके संबद्ध शेयरधारकों एवं ऋणदाताओं में किए जाने की योजना व्यवस्था का अनुमोदन करना तथा इस संबंध में विचार करके उचित समझे जाने पर **विशेष संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्प संशोधन अथवा बिना संशोधन (संशोधनों) के साथ पारित करना :

"**यह संकल्प किया जाता है कि** कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक जून 13, 2017 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 582(ई के साथ पठित (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230- लागू प्रावधानों के प्रावधानों एवं अन्य 232 के अंतर्गतबनाए गए नियमों, परिपत्रों तथा अधिसूचनाओं किसी सा)ंविधिक संशोधन अथवा पुन(पन सहितवस्थाव्य :, जैसा भी लागू हो तथा कंपनी के संगम ज्ञापन तथा कंपनी के संगम अनुच्छेद के प्रावधानों की शर्त पर तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा यथावश्यक अन्य शर्तों और आशोधनों पर तथा सहमतियां, अनुमोदनों, अनुमतियों, जो कंपनी के निदेशक मंडल कृत होंको स्वी (बोर्ड), को प्रदान करते समय कारपोरेट कार्य मंत्रालय तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित तथा प्रत्यारोपित, जिसके अर्थ में निदेशक मंडल अथवा निदेशक मंडल द्वारा इस संकल्प में प्रदत्त की गई शक्तियों सहित अपनी शक्तियों के उपयोग के लिए नामित किसी व्यक्ति द्वारा गठित अथवा गठित की जाने वाली किसी एक अथवा अधिक समिति भी शामिल मानी जाएंगी (समितियां), की सहमति होने पर पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड)अंतरणकर्ता कंपनी का समामेलन पावर फाइनेंस (कॉर्पोरेशन लिमिटेड अंतरिती)कंपनी तथा उसके (संबद्ध शेयरधारकों एवं ऋणदाताओं के साथ किए जाने की व्यवस्था योजना की व्यवस्था का स्वरूप इस बैठक में प्रस्तुत किया गया तथा उसपर समिति के अध्यक्ष द्वारा अभिनिर्धारण के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए गए, जिसे एतद्द्वारा अनुमोदित किया गया है।"

"**आगे यह संकल्प किया जाता है कि** निदेशक मंडल ऐसे सभी कृत्य, क्रियाएं, मामले तथा कार्य, जिस प्रकार के हों, उक्त संकल्प को प्रभाव देने तथा योजना में निहित व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा ऐसे बदलाव,

संशोधन, परिसीमा तथा / अथवा स्थितियां, यदि कोई हों, जो कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा योजना की व्यवस्था के स्वरूप का अनुमोदन दिए जाने के दौरान अथवा किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित तथा / अथवा प्रत्यारोपित की गई हों, यदि कोई हों, , अथवा किसी प्रश्न अथवा संदेह अथवा कठिनाइयों के निवारण के उद्देश्य से, ऐसी लेखा प्रविष्टियों को लेखा बहियों में प्रभारित करने तथा / अथवा समायोजित करने सहित योजना को प्रभाव देने के लिए आवश्यक मानी गई हैं, विवेकानुसार आवश्यक, वांछनीय, यथोचित अथवा उचित समझे गए अनुसार कर सकेगा।"

निदेशक मंडल के आदेश से

मनोहर बलवानी
कंपनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय:
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंभा लेन,
कनॉट प्लेस,
नई दिल्ली- 110001
सीआईएन: एल65910डीएल1986जीओआई024862
तिथि: 03.08.2018

नोट :

1. वार्षिक आम बैठक ("बैठक") में भाग लेने तथा वोट देने का पात्र कोई भी सदस्य अपने स्थान पर अपनी ओर से बैठक में भाग लेने तथा वोट देने के लिए किसी प्रॉक्सी को नियुक्त कर सकता है तथा ऐसे प्रॉक्सी का कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। तथापि, प्रॉक्सी की नियुक्ति के लिए विधिवत पूर्ण, मोहरबंद एवं हस्ताक्षरित उपकरण बैठक प्रारंभ होने से कम से कम अड़तालिस घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करवाया जाना चाहिए। खाली प्रॉक्सी फार्म संलग्न हैं तथा इनकी नि:शुल्क प्राप्ति कंपनी के पंजीकृत कार्यालय से भी की जा सकती है । इस प्रकार नियुक्त किए जाने वाले प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

2. कोई व्यक्ति अधिकतम पचास ऐसे सदस्यों की ओर से प्रॉक्सी के कार्य कर सकता है जिनके वोट अधिकार युक्त शेयरों की होल्डिंग कंपनी की कुल शेयर पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक न हो। कंपनी की कुल शेयर पूंजी में से दस प्रतिशत से अधिक वोट अधिकार युक्त शेयरों का धारण करने वाले सदस्य किसी एक व्यक्ति को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकते हैं तथा ऐसे व्यक्ति को किसी अन्य शेयरधारक की ओर प्रॉक्सी के कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।

3. कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे विधिवत हस्ताक्षरित बोर्ड संकल्प / बैठक में भाग लेने तथा अपनी से वोट करने का प्राधिकार देने के लिए लिए पॉवर ऑफ एटर्नी की प्रति भिजवाने की व्यवस्था करें।

4. बैठक में वोट देने अथवा कोई संकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त कोई भी सदस्य बैठक प्रारम्भ होने के नियत समय से चौबीस घंटे पूर्व से बैठक के समापन तक लॉज की गई प्राक्सियों की जांच कंपनी के व्यवसाय कार्य समय के दौरान कर सकेगा परंतु इसके लिए उसे जांच करने की अपनी लिखित मंशा कंपनी को कम से कम तीन दिन पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।

5. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियमावली, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के अनुसरण में एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अंतर्गत कंपनी द्वारा बैठक में संव्यवहार की जाने वाली सभी मदों के संबंध में कंपनी के सभी शेयरधारकों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। कंपनी द्वारा आम एजीएम (वार्षिक आम बैठक) के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के लिए कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड (कार्वी) की सेवाएं प्राप्त की गई हैं। इलैक्ट्रानिक नोटिस के माध्यम से भेजी गई उपस्थिति शीट / ईमेल के निचले भाग में यूजर आईडी तथा पासवर्ड का विवरण दिया गया है। रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निदेश नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया वे ई-वोट करने से पूर्व इन निदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लें।

   इसके अलावा, इलेक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम /बैलेट अथवा पोलिंग पेपर के माध्यम से दी जा रही वोटिंग की सुविधा बैठक के दौरान भी उपलब्ध रहेगी तथा बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं दिया है वे बैठक के दौरान रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट दे सकेंगे।

   कंपनी द्वारा श्री सचिन अग्रवाल, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (एफसीएस नम्बर 5774, सी.पी. नम्बर 5910) को रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया तथा इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम / बैठक के दौरान बैलेट अथवा पोलिंग पेपर वोटिंग प्रक्रिया की व्यवस्था निष्पक्ष एवं पारदर्शी स्वरूप में करने के लिए व्यवस्थापक के तौर पर नियुक्त किया गया है।

<u>रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया तथा निदेश</u>

I. अपने इंटरनेट ब्रॉउजर पर यह लिंक खोलें: https://evoting.karvy.com.

II. उपस्थिति शीट / ईमेल के निचले भाग में आरंभिक पासवर्ड दे दिया गया है।

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नम्बर)	**यूजर आईडी**	**पासवर्ड**
	डिमेट स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:- इवेंट नम्बर के पश्चात : एनएसडीएल के लिए :- 8 करेक्टर वाली डीपी आईडी के बाद 8 अंकों वाली क्लांइट आईडी सीडीएसएल के लिए :- 16 अक्षरों वाली बैनिफिश्यिरी आईडी फिजिकल स्वरूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए:- इवेंट नम्बर के पश्चात कंपनी में पंजीकृत फोलियो नम्बर	आपका यूनिक पासवर्ड ईमेल के माध्यम से भेजे गए इलैक्ट्रानिक नोटिस में उपस्थिति स्लिप पर मुद्रित किया गया है।

(क) **कार्वी से ईमेल प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में [ऐसे सदस्यों के लिए लागू जिनके ईमेल पते कंपनी / निक्षेपागार सहभागी (पार्टिसिपेंटों) के पास रजिस्टर्ड हैं]:**

(i) लॉगिन विवरण (अर्थात यूजर आईडी तथा पासवर्ड) दर्ज करें। तथापि, यदि आप पहले से ही कार्वी में ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं तो आप अपनी विद्यमान यूजर आई डी और पासवर्ड का उपयोग वोट देने के लिए कर सकते हैं।

(ii) उपर्युक्त विवरण दर्ज करने के पश्चात लॉगिन पर क्लिक करें।

(iii) पासवर्ड चेंज मैन्यू प्रस्तुत होगा। अपने पासवर्ड को बदलकर अपनी पसंद का नया पासवर्ड बना लें। आपके पासवर्ड में कम से कम 8 करेक्टर होने चाहिए जिनमें से आपको एक अपर केस (A से Z), एक लोअर केस (a से z), एक न्यूमरिकल (0 से 9) तथा एक विशेष करेक्टर (@,#,$, इत्यादि) का उपयोग करना है। पहली बार लॉगिन करने पर सिस्टम द्वारा आपसे अपना संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल पता इत्यादि भी अपडेट करने के लिए कहा जाएगा। पासवर्ड भूल जाने की स्थिति में दोबारा पासवर्ड बनाने के लिए आप अपना कोई सीक्रेट प्रश्न तथा उसका कोई अपनी पसंद का उत्तर भी एन्टर कर सकते हैं। हमारा यह आग्रह है कि आप कभी भी अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय बनाए रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। अपने नए विवरण के साथ आपको एक बार फिर से लॉगिन करना पड़ेगा।

(iv) सफलतापूर्वक लॉगिन कर लेने के पश्चात सिस्टम द्वारा आपसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चयन ई-वोटिंग के लिए करने के लिए कहा जाएगा।

(v) वोटिंग पेज पर "FOR/AGAINST" (पक्ष / विरोध) के लिए कटऑफ तिथि के अनुसार अपने शेयरों की संख्या (जो आपके वोटों की संख्या भी है) दर्ज करें अथवा आप अपने शेयरों की आंशिक अथवा कोई भी संख्या "FOR" (पक्ष) के लिए तथा आंशिक संख्या "AGAINST" (विरोध) में दर्ज कर सकते हैं परन्तु "FOR/AGAINST" (पक्ष / विरोध) का योग ऊपर उल्लिखित आपकी कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होना चाहिए। आप ABSTAIN (अनुपस्थिति/वोटिंग में भाग नहीं लेना माना जाएगा) के विकल्प को भी

चुन सकते हैं। यदि कोई सदस्य “FOR” अथवा “AGAINST” में से कोई चयन नहीं करता है तो उसे “ABSTAIN” माना जाएगा तथा ऐसे धारित शेयरों को किसी शीर्ष (हैड) की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा।

(vi) जिन सदस्यों के पास एक से अधिक फोलियो / डिमैट खाते हैं उन्हें प्रत्येक फोलियो / डिमैट खातों के लिए अलग अलग वोटिंग प्रक्रिया करनी होगी।

(vii) नोटिस की प्रत्येक मद के संबंध में अलग अलग वोटिंग की जानी है। यदि आप किसी मद विशेष के संबंध में वोट नहीं देना चाहते हैं तो उसे अनुपस्थित माना जाएगा।

(viii) इसके पश्चात आप उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट देकर ''सबमिट'' के बटन पर क्लिक करें।

(ix) आपके सम्मुख एक पुष्टि बॉक्स प्रस्तुत होगा। आगे बढ़ने के लिए आप “OK” के बटन पर क्लिक करें अथवा इसे रद्द करने के लिए आप “CANCEL” के बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। किसी संकल्प (संकल्पों) के संबंध में एक बार वोट देने के पश्चात आप अपने वोट में बदलाव नहीं कर सकेंगे। वोटिंग अवधि के दौरान सदस्य अनेक बार तब तक लॉगिन कर सकते हैं जब तक उनके संकल्प (संकल्पों) के संबंध में पूरे वोट डाले जाने हैं।

(x) कॉर्पोरेट / इंस्टीट्यूशनल सदस्यों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई इत्यादि के अलावा) से भी अनुरोध है कि वे बोर्ड संकल्प / प्राधिकार पत्र इत्यादि की प्रमाणित स्कैन प्रति (पीडीएफ फॉर्म) विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) द्वारा सत्यापित हस्ताक्षर (हस्ताक्षरों) के नमूने के साथ व्यवस्थापक को उनके ईमेल पते : sachinag1981@gmail.com पर तथा उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को मार्क करके भिजवाने की व्यवस्था करें। ऊपर उल्लिखित दस्तावेजों की स्कैन की हुई इमेज नेमिंग फॉर्मेट “Corporate Name_Event No.” में होनी चाहिए।

(ख) **यदि किसी मामले में सदस्यों को वार्षिक आम सभा के नोटिस की फिजिकल प्रति प्राप्त हुई है (उन सदस्यों के मामले में लागू जिनके ईमेल पते कंपनी / डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट (पार्टिसिपेंटों) के पास पंजीकृत नहीं है अथवा उन्होंने फिजिकल प्रति के लिए अनुरोध किया है)**

(i) लॉगिन विवरण (अर्थात यूजर आईडी तथा पासवर्ड) दर्ज करें। (आपकी यूजर आईडी और आरंभिक पासवर्ड वार्षिक आम बैठक की उपस्थिति स्लिप में दिया गया है)

(ii) कृपया अपना वोट देने के लिए ऊपर क्रम संख्या (ii) से क्रम संख्या (x) का अनुसरण करें।

III. किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए कृपया अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तथा शेयरधारकों के ई-वोटिंग यूजर मैनुअल से संदर्भ प्राप्त करें जो कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर उपलब्ध है। ई-वोटिंग से जुड़ी किसी भी प्रकार की शिकायत /जानकारी के लिए सदस्यों द्वारा श्री बी.श्रीनिवास, कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लाट नम्बर 31 एवं 32 गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032, फोन नम्बर 040 67162222 अथवा कार्वी के टोल फ्री नम्बर 1800-3454-001 पर स्पष्टीकरण के लिए संपर्क किया जा सकता है।

IV. यदि आप ई-वोटिंग के लिए कार्वी में पहले से ही रजिस्टर्ड हैं तो आप अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड के उपयोग से अपना वोट दे सकते हैं।

V. वोटिंग अधिकार की संख्या कटऑफ तिथि अर्थात दिनांक 5 सितम्बर, 2018 को सदस्य (सदस्यों) द्वारा धारित इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार होगी। सदस्य तभी अपना वोट दे सकेंगे जब उनके पास उक्त तिथि को शेयरों का धारण होगा।

VI. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधित नियमावली, 2015 के अनुसार इलैक्ट्रानिक वोटिंग अवधि वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से पूर्वगामी तिथि को सायं 5.00 बजे बंद कर दी जाएगी। तदनुसार वोटिंग दिनांक 8 सितम्बर, 2018 को प्रात: 10.00 बजे प्रारंभ होकर दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को सायं 5.00 बजे बंद की जाएगी। कार्वी द्वारा उस दिन सायं 5.00 बजे ई-वोटिंग माड्यूल बंद कर दिया जाएगा।

VII. किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार वोट दिए जाने के पश्चात उस सदस्य को बाद में बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

VIII. वे सदस्य जिन्होंने अपना वोट ई-वोटिंग के माध्यम से दे दिया है वे बैठक में भाग तो ले सकेंगे परन्तु उन्हें फिर से वोट देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

IX. वे सदस्य जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं दिया है वे अपना वोट बैठक स्थल पर दे सकते हैं।

X. कोई भी सदस्य वोटिंग के लिए केवल एक ही माध्यम अर्थात ई-वोटिंग का माध्यम अथवा वार्षिक आम बैठक के अवसर पर वोट देने का माध्यम चुन सकता है। यदि किसी सदस्य द्वारा दोनों माध्यमों के चयन से वोट देता है तो ई-वोटिंग से दिया गया उसका वोट मान्य होगा तथा वार्षिक आम बैठक के स्थल पर दिया गया वोट अमान्य कर दिया जाएगा।

XI. वे सदस्य जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट के प्रेषण तथा कटऑफ तिथि अर्थात दिनांक 03 सितम्बर, 2018 से पूर्व शेयर अधिगृहित किए हैं वे इलैक्ट्रानिक माध्यम से अपना वोट डालने के लिए अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड निम्नानुसार प्राप्त कर सकते हैं:-

क. यदि सदस्य का ईमेल पता अथवा मोबाइल नंबर फोलियो संख्या / डीपी आईडी क्लाइंट आईडी में पंजीकृत है :

तो सदस्य अपना अनुरोध **9212993399** पर इस प्रकार एसएमएस भेजकर प्राप्त कर सकते हैं : MYEPWD <स्पेस> इवेंट नम्बर+फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी अथवा क्लाइंट आईडी

एनएसडीएल के लिए उदाहरण : MYEPWD <स्पेस> IN12345612345678
सीडीएसएल के लिए उदाहरण : MYEPWD < स्पेस > 1402345612345678
फिजिकल के लिए उदाहरण : MYEPWD <स्पेस> XXX1234567890

अथवा

सदस्य https://evoting.karvy.com के होम पेज पर जाकर ''फॉर्गॉट पासवर्ड' पर क्लिक करें तथा अपना फोलियो नंबर अथवा डीपी आईडी अथवा पैन नंबर डालकर नया पासवर्ड बना सकते हैं।

ख. सदस्य कार्वी को टोल फ्री नम्बर 1-800-3454-001 पर कॉल कर सकते हैं।

ग. सदस्य evoting@karvy.com को ईमेल के माध्यम से अनुरोध कर सकते हैं। तथापि, कार्वी द्वारा उन्हीं नए सदस्यों को यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा जिनके ईमेल पते उनके पास उपलब्ध हैं।

XII. संकल्पों के परिणामों की घोषणा वार्षिक आम बैठक में अथवा उसके पश्चात कंपनी द्वारा की जाएगी तथा उन संकल्पों को वार्षिक आम बैठक की तिथि को पारित माना जाएगा जिन संकल्पों के पक्ष में अपेक्षित संख्या में वोट डाले गए हैं।

XIII. व्यवस्थापक (व्यवस्थापकों) की रिपोर्ट (रिपोर्टों) के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.pfcindia.com) तथा कार्वी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर देखे जा सकेंगे तथा इन्हें बीएसई लिमिटेड एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को भी भिजवाया जाएगा।

XIV. कृपया नोट करें कि कोई व्यक्ति जो कटऑफ तिथि को कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही देखना चाहिए।

XV. भविष्य में सूचना (सूचनाओं) के प्रेषण के लिए आप अपना मोबाइल नंबर तथा ई-मेल आई अपने यूज़र प्रोफाइल में अपडेट कर सकते हैं।

6. कंपनी अधिनियम**,** 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में बैठक के दौरान किए जाने वाले विशेष संव्यवहार से संबंधित विवरण इसके साथ संलग्न किया गया है।

7. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3) में की गई अपेक्षाओं के अनुसार रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा मद संख्या 3 के अंतर्गत पुन:नियुक्ति का अनुरोध करने वाले श्री चिन्मय गंगोध्याय, निदेशक तथा नोटिस की मद संख्या 5 के अंतर्गत पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाली श्रीमती गौरी चौधरी के संक्षिप्त प्रोफाइल कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अंतर्गत इस नोटिस का भाग हैं।

8. सदस्यों से यह अनुरोध किया जाता है कि :-

i. यह नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां वितरित नहीं की जाएंगी।

ii. पूरी तरह से भरी हुई तथा हस्ताक्षर की हुई उपस्थिति स्लिप को कृपया बैठक स्थल के प्रवेश द्वार पर सौंपें तथा ऑडिटोरियम में प्रवेश की अनुमति केवल प्रवेश द्वार पर उपस्थिति स्लिप के स्थान पर जारी की जाने वाली प्रवेश स्लिप के आधार पर ही दी जाएगी।

iii. प्रत्येक प्रकार के पत्रव्यवहार में फोलियो/क्लाइंट आईडी तथा डीपी आईडी नम्बरों का उल्लेख करें।

iv. कृपया नोट करें कि कड़े सुरक्षा कारणों से ऑडिटोरियम के भीतर ब्रीफ केस, खाने की वस्तुएं तथा अन्य सामान ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

v. कृपया नोट करें कि वार्षिक आम बैठक में किसी प्रकार का उपहार / कूपन वितरित नहीं किया जाएगा।

vi. कृपया नोट करें कि संयुक्त धारकों द्वारा बैठक में भाग लेने के मामले में केवल उच्चतर धारण करने वाले धारक को ही वोट देने का अधिकार होगा।

9. दिनांक 3 नवम्बर, 2017 तथा दिनांक 26 फरवरी, 2018 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल द्वारा कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी पर @ 60%(₹6.00 प्रति शेयर) के पहले अंतरिम लाभांश तथा @18% (₹1.80 प्रति शेयर) के दूसरे अंतरिम लाभांश भुगतान की घोषणा की गई थी जिसका भुगतान दिनांक 23 नवम्बर, 2017 तथा 19 मार्च, 2018 को क्रमश: कर दिया गया है। वे सदस्य जिन्हें लाभांश वांरट प्राप्त नहीं हुआ है अथवा जिन्होंने उसका नकदीकरण नहीं करवाया है वे कंपनी के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)

कार्वी कम्प्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड से अपने वारंट को पुन:वैध करवाने अथवा डुप्लीकेट वांरट प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते हैं।

10. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बहियां 1 सितंबर, 2018 से 11 सितंबर, 2018 (दोनों दिन मिलाकर) तक बंद रहेंगी।

11. धारा 205ए के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205सी के अनुसार सात वर्ष की अवधि के चुकता न किए गए/ दावा न किए गए लाभांश की राशि केन्द्र सरकार की निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित की जानी है। इसलिए सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे प्राप्त होने पर अपने लाभांश का नकदीकरण शीघ्र करवा लें। निवेशकों का विवरण (जिन्हें भुगतान किया जाना है) एम.सी.ए. वेबसाइट (फार्म5 आईएनवी) तथा कंपनी की वेबसाइट पर दिया गया है जिससे निवेशक उसके प्रति अपना दावा प्रस्तुत कर सकें।

12. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा ''कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए हरित उपाय'' इसलिए किए गए हैं जिसके अंतर्गत कंपनियों को कागजमुक्त अनुपालन की अनुमति दी गई है तथा इस संबंध में जारी परिपत्रों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट सहित सूचना / दस्तावेज सदस्यों को ईमेल से भिजवाए जा सकती हैं। सरकार द्वारा किए जा रहे इस हरित प्रयास का सही मायनों में समर्थन करते हुए सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे अपने इलैक्ट्रानिक धारण के संबंध में अपना ईमेल आईडी अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से पंजीकृत करवा लें। जिन सदस्यों के पास फिजिकल स्वरूप में शेयर हैं उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी के पास अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करवा लें।

13. सदस्यों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे अपने ईसीएस (इलैक्ट्रानिक क्लीयरिंग सिस्टम) मैनडेट की जानकारी कंपनी को दे दें जिससे कंपनी द्वारा ईसीएस के माध्यम से भुगतान किए जा सकें। जिनके पास शेयरों का धारण फिजिकल रूप में है वे अपने ईसीएस मैनडेट की जानकारी कंपनी की आरटीवी कार्वी को दे सकते हैं। इलैक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्य अपना ईसीएस मैनडेट फॉर्म सीधे अपने डिजीटरी पार्टिसिपेंस (डीपी) को भेज सकते हैं। जिन्होंने अपना ईसीएस मैनडेट फॉर्म कंपनी / आरटीए / डीपी को पूरे विवरण के साथ दे दिया है उन्हें इसे फिर से भेजने की आवश्यकता नहीं है।

14. फिजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले ऐसे शेयरधारक, जो ईसीएस की सुविधा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया अपने बैंक के नाम,शाखा और खाता संख्या की जानकारी कंपनी के आरटीए मैसर्स कार्वी को मेल से भिजवाने की व्यवस्था करें जिससे लाभांश के वारंट पर उसका विवरण मुद्रित किया जा सके।

15. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं), विनियमावली, 2015 द्वारा प्रतिभूति बाजार के प्रत्येक प्रतिभागी से अपना पर्मानेंट एकाउंट नंबर (पैन) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। इलैक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना पैन नंबर अपने डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को दे दें जो उनके डिमैट खातों को देख रहा है। अंतरिती (अंतरितीयों) के लिए भी यह अनिवार्य है कि वह अंतरण के पंजीकरण के लिए और फिजिकल स्वरूप में लिस्टिड कंपनियों के शेयरों के अंतरण सहित प्रतिभूति बाजार लेनदेन और ऑफ मार्किट / प्राइवेट संव्यवहार करने के लिए अपने पैन कार्ड की एक प्रति कंपनी/आरटीए के पास जमा करवा दें। तदनुसार, फिजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्य अपना पैन कंपनी / कंपनी की आरटीए कार्वी के पास जमा करवा सकते हैं।

16. फिजिकल स्वरूप में अनेक फोलियो वाले शेयरों का धारण करने वाले सदस्य कंसोलिडेशन के लिए कंपनी अथवा कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी से अपने शेयर प्रमाणपत्रों के साथ संपर्क कर सकते हैं।

17. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयरों के अंतरण के पंजीकरण, ट्रांसमिशन, सबडिवीजन शेयरों के कंसोलिडेशन अथवा शेयरों से संबंधित अन्य किसी मामले तथा / अथवा पते एवं बैंक खाते में परिवर्तन के लिए कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी से संपर्क करें।

18. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अथवा पुनर्नियुक्ति की जाती है तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसरण में उनके पारिश्रमिक का निर्धारण कंपनी की वार्षिक आम बैठक अथवा कंपनी द्वारा किए जाने वाले निर्धारण के अनुसार आम बैठक में किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एम.के.अग्रवाल एंड कंपनी, सनदी लेखाकार एवं गांधी मिनोचा एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अनुसरण में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कंपनी का संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षण करने के लिए चुना गया है। सदस्यों द्वारा निदेशक मंडल को वित्त वर्ष 2018 के संबंध में लेखापरीक्षकों के लिए उचित पारिश्रमिक का निर्धारण निदेशक मंडल द्वारा उचित स्वरूप में करने का प्राधिकार दिया जाना है।

19. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अंतर्गत दी गई अनुमति के अनुसार कंपनी की शेयरधारिता के संबंध में नामांकन करने के इच्छुक सदस्य निर्धारित फॉर्म में अपना अनुरोध कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि शेयरों का धारण डिमैट स्वरूप में किया गया है तो नामांकन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को प्रस्तुत किया जाना है।

20. फिजिकल स्वरूप में शेयरों का धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते में परिवर्तन की सूचना तत्काल कंपनी की आरटीए मैसर्स कार्वी तथा इलैक्ट्रानिक स्वरूप में शेयरों का धारण करने के मामले में अपने संबंधित डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट को दें।

21. इस बैठक में वित्तीय विवरणों तथा किसी अन्य प्रकार के व्यवसाय के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्य बैठक की तिथि से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व अपना अनुरोध कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में कंपनी के कंपनी सचिव को प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे अपेक्षित सूचना बैठक में तत्काल उपलब्ध करवाई जा सके।

22. नोटिस में संदर्भित सभी संबद्ध दस्तावेज एवं सांविधिक रजिस्टर प्रत्येक कार्य दिवस (शनिवार तथा रविवार के अलावा) में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के आयोजन से पूर्व प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक जांच के लिए उपलब्ध होंगे।

23. संपूर्ण वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.pfcindia.com. पर भी उपलब्ध है।

24. तालकटोरा इंडोर स्टेडियम का रूट मैप इसके साथ संलग्न किया जा रहा है।

नोटिस में निर्धारित विशेष व्यवसाय संव्यवहार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में विवरण।
मद संख्या 5

संलग्न नोटिस की मद संख्या 5 में किए गए विशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधित सामग्रीगत तथ्य निम्नलिखित विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं:-

श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्ष की स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के दिनांक 22 सितम्बर, 2017 के पत्र संख्या 20/8/2016-समन्वय(भाग-II) के माध्यम से उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से 3 वर्ष के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, की गई थी तथा उन्हें निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 3 नवंबर, 2017 से इस वार्षिक आम बैठक के आयोजन तक के लिए अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 160 के प्रावधानों के अनुसरण में कंपनी द्वारा श्रीमती गौरी चौधरी से लिखित में कंपनी में स्वतंत्र निदेशक के पद की अपनी उम्मीदवारी के विवरण के साथ हस्ताक्षरबद्ध नोटिस प्राप्त किया गया है। श्रीमती गौरी चौधरी की नियुक्ति का विनियमन करने वाले नियमों तथा शर्तों का निर्धारित भारत सरकार द्वारा किया जाना है।

इसके अलावा, सेबी (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन), विनियमावली, 2018 में शामिल नए विनियम 17(1ए) के अंतर्गत कोई लिस्टिड कंपनी विशेष संकल्प पारित करके 75 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके किसी ऐसे व्यक्ति की सेवाएं गैर-अधिशासी निदेशक के पद पर निदेशक के रूप में प्राप्त कर सकती है। पीएफसी एक सरकारी कंपनी है अत: कंपनी के संस्था के अंतर्नियमों के अनुसरण में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की जाती है। इस ओर ध्यान दिया जाए कि श्रीमती गौरी चौधरी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 75 वर्ष की आयु में तीन वर्ष की अवधि के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के माध्यम से की गई थी। तदनुसार, एक विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया है।

उनके संक्षिप्त वैयक्तिक विवरण के साथ साथ विशेष कार्यात्मक क्षेत्र में उनकी विशेषज्ञता का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो इस नोटिस का भाग है।

इस संकल्प के प्रति श्रीमती गौरी चौधरी संबद्ध एवं इच्छुक हैं।

इसके अलावा, कोई अन्य निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके किसी सम्बद्ध का, वित्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।
निदेशक मंडल विशेष संकल्प के रूप में आपको अनुमोदन के लिए इस नोटिस के क्रम संख्या 5 पर दिए गए संकल्प की सिफ़ारिश करता है।

मद संख्या 6

संलग्न नोटिस की मद संख्या 6 में किए गए विशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधित सामग्रीगत तथ्य निम्नलिखित विवरण में प्रस्तुत किए गए हैं:-

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र का अधिसूचित वित्तीय संस्थान है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवसंरचना वित्तीय कंपनी के रूप में वर्गीकृत प्रणालीगत स्वरूप में महत्वपूर्ण जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीयन कंपनी है। कंपनी द्वारा विद्युत संस्थाओं की वित्त आवश्यकताओं तथा विद्युत क्षेत्र को विकास आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी निधि आवश्यकताओं की पूर्ति बॉण्ड जारी करके, बैंकों/वित्तीय संस्थानों तथा ईसीबी इत्यादि से आवधिक ऋण प्राप्त करके की जाती है।

कंपनी के ऋणों के मुख्य घटक सामान्यता सिंडिकेटिड ऋण/ ऋण व्यवस्था (लाइन ऑफ क्रेडिट), दीर्घावधि, मध्यावधि और अल्पावधि ऋणों (वाणिज्यिक पेपर सहित) के माध्यम से दीर्घावधि/अल्पावधि कर योग्य बॉण्ड/कर मुक्त बॉण्ड/ इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड/ जीरो कूपन बॉण्ड/ सबओर्डिनेटिड बॉण्ड/ अन्य बॉण्ड, ईसीबी के सार्वजनिक निजी प्लेसमेंट के रूप में होते हैं। कंपनी (प्रतिभूतियों का विवरण एवं आबंटन) नियमावली, 2014 के नियम 14 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अंतर्गत कंपनी के लिए अपरिवर्तनीय डिबेंचरों की निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाने के लिए विशेष संकल्प द्वारा शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

उपर्युक्त लागू प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को आयोजित पिछली वार्षिक आम बैठक की पिछली बैठक में शेयरधारकों द्वारा वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान (अर्थात 20 सितम्बर, 2017 से 19 सितम्बर, 2018) अपरिवर्तनीय डिबेंचरों के माध्यम से ₹65,000 करोड़ तक की निधियां जुटाने का अनुमोदन प्रदान किया गया था।

निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 24 जुलाई,**2018** को आयोजित अपनी बैठक में शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त पर भारत तथा / अथवा भारत के बाहर बांड्स/डिबेंचरर्स/नोट्स/ऋण प्रतिभूतियां जारी करके चालू वार्षिक आम सभा की बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹65,000 करोड़ रूपए की निधियों की उत्पति का अनुमोदन दिया गया था।

निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड (निदेशक मंडल द्वारा गठिन अन्य कोई समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य कोई प्राधिकारी सहित) को भारत तथा / अथवा भारत के बाहर बांड्स/डिबेंचरर्स/नोट्स/ ऋण प्रतिभूतियां जारी करके चालू वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹65,000 करोड़ रूपए की निधियों की उत्पति का प्राधिकार देने के लिए शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा गया है।

इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा बोर्ड (निदेशक मंडल द्वारा गठिन अन्य कोई समिति अथवा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अन्य कोई प्राधिकारी सहित) को भारत तथा / अथवा भारत के बाहर प्रतिभूत/ अप्रतिभूत, प्रतिदेय, अपरिवर्तनीय,कर योग्य, कर मुक्त, वरिष्ठ/सबऑर्डिनेट बॉण्डस/डिबेंचर्स/नोट्स/ डेब्ट सिक्योरिटीज (**"बॉण्डस"**) जारी करके चालू वार्षिक आम बैठक के आयोजन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान ₹65,000 करोड़ रूपए की निधियों की उत्पति के लिए अंशदान के लिए प्रस्ताव देने अथवा निमंत्रण देने का प्राधिकार दिए जाने तथा बॉण्डस जारी करने से संबंधित सभी आवश्यक कृत्य, क्रियाएं एवं कार्य करने का प्राधिकार दिए जाने, जिसमें अन्यों के साथ साथ अंकित मूल्य, इश्यू आकार, समय, राशि, सुरक्षा, कूपन/ब्याज दर, प्रतिफल, लिस्टिंग, आबंटन तथा बॉण्डस के इश्यू के अन्य नियम एवं शर्तें अपने विवेकानुसार आवश्यक समझे गए कार्य भी शामिल होंगे, का अनुमोदन देने की अपेक्षा भी शेयरधारकों से की गई है।

तदनुसार, निदेशक मंडल विशेष संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन के लिए इस नोटिस के क्रम संख्या 6 पर दिए गए संकल्प की सिफ़ारिश करता है।

निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके किसी सम्बद्ध का, वित्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।

मद संख्या 7

संलग्न नोटिस की मद संख्या 7 में विशेष व्यवसाय संव्यवहार से संबंधित निम्नलिखित विवरण में कंपनी (समाधान, व्यवस्थाएं तथा समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 230(3), 231(1) तथा (2) के अंतर्गत सामग्रीगत विवरण दिए गए हैं:

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (PFCGEL) तथा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 18.7.**2016** तथा 9.8.2016 को आयोजित क्रमश: अपनी 35वीं तथा 350वीं बैठक में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का विलय पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में किए जाने के प्रति सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इसके पश्चात "पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरकर्ता कंपनी) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी)" तथा उनके संबंधित शेयरधारकों का प्रस्तावित समामेलन किए जाने की व्यवस्था के नियम एवं शर्तों से युक्त योजना का अनुमोदन संबंधित कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25.8.2017 तथा 29.9.2017 को क्रमश: आयोजित बैठकों में दिया गया था तथा यह स्पष्टीकरण विवरण अनुलग्नक -1 एवं इस विवरण के भाग के रूप में संलग्न किया जा रहा है।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एतद्द्वारा सार में दी गई स्वीकृति के अनुसार "अंतरिती कंपनी" के रूप में संदर्भित) के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक इस उद्देश्य से विचार तथा, उचित पाए जाने की स्थिति में, पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरक कंपनी) का पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उनके संबंद्ध शेयरधारकों (''योजना'') का कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 230-232 (सांविधिक आशोधनों अथवा पुन-प्रवर्तन अथवा उनमें संशोधनों सहित) , जो उसके अध्याधीन निर्मित नियमों एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 582 (ई) के साथ पठनीय है, का समामेलन किए जाने की प्रस्तावित योजना का अनुमोदन संशोधन (संशोधनों) के साथ अथवा बिना किए जाने के लिए आयोजित की जा रही है।

इसके अलावा, कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सम्मुख दिनांक 9.5.2018 को योजना के साथ उपर्युक्त विलय के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है तथा कारपोरेट कार्य मंत्रालय से इस संबंध में प्राप्त होने वाले निदेशों की शर्त पर इक्विटी शेयरधारकों से अनुमोदन मांगा जा रहा है।

संक्षिप्त विवरण

i. इस योजना में कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 230-232 के अंतर्गत आवेदक कम्पनियों के मध्य 1.4.2017 से प्रभावी व्यवस्था की संकल्पना की गई है।

ii. अंतरक कंपनी, पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी), जो ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के अध्याधीन केन्द्र सरकार का 'नवरत्न' सार्वजनिक उपक्रम है, के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। इस प्रकार कंपनी अधिनियम के खंड 2(45) के उपबंधों के अनुसार अंतरक तथा अंतरिती कम्पनियां, दोनों, 'सरकारी कम्पनियां' हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 582(ई) में "ट्रिब्यूनल" शब्द, जहां कहीं इसका उपयोग हुआ हो, को कंपनी अधिनियम,**2013** के अध्याय **XV**, खंड 230 से 232 में "केन्द्रीय सरकार" से परिवर्तित किए जाने की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार, यह योजना केन्द्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने की शर्त के अध्याधीन है।

iii. **पृष्ठभूमि**

पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरक कंपनी) का विवरण

क) **"पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड" (अंतरक कंपनी**) सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 30.3.2011 को किया गया है।

ख) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): यू 65923 डीएल 2011 जीओआई 216796.

ग) नाम परिवर्तन से संबंधित विवरण : पावर फाइनेंस कारपोरेशन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड

घ) पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (पैन) : AAGCP1323C (एएजीसीपी1323सी)

ङ) अंतरक कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली -110001 में स्थित है।

च) अंतरक कंपनी के लक्ष्य :

अंतरक कंपनी गैर - बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है तथा इसके द्वारा दिनांक 1 अक्तूबर, 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (**NBFV**) का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। अंतरक कंपनी द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा कुशल की प्रत्येक प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

अंतरक कंपनी का निगमन पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) की विस्तारित भुजा के रूप में पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में ऊर्जा के हरित स्रोतों(नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक) के प्रोत्साहन के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

(i) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा की उत्पति के लिए वित्तीय सहायता

(ii) ऊर्जा कौशल एवं संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता

(iii) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के क्षेत्र में उपकरण निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(iv) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा को प्रोत्साहित करना।

(v) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के लिए पट्टा वित्त के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(vi) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा के क्षेत्र की परियोजनाओं के नवीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए वित्त उपलब्ध करवाना।

(vii) हरित (नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोत) ऊर्जा की योजनाओं के पुनरूद्धार / सुधार के लिए वित्त उपलब्ध करवाना।

(viii) मूल्यांकन के कार्य करना

(ix) ऊर्जा के नवीकरणीय एवं गैर-पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा विकास एवं आपूर्ति की प्रौद्योगिकी के विभिन्न घटकों के लिए सर्वेक्षण, अध्ययन तथा अनुसंधान क्रियाकलापों के लिए वित्त उपलब्ध करवाना ।

(x) पॉयलट परियोजनाओं में सहायता देना

(xi) सीडीएम परियोजनाओं में सहायता देना

(xii) कंपनी के सम्बद्ध क्रियाकलापों को प्रोत्साहित, व्यवस्थित करना तथा परामर्शी सेवाएं देना।

संगम ज्ञापन (**एमओए**) तथा संगम अनुच्छेद (**एओए**) की प्रतियां जांच के लिए उपलब्ध हैं।

छ) 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अंतरक कंपनी की प्राधिकृत, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है :-

प्राधिकृत पूंजी:	
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 100,00,00,000 इक्विटी शेयर	10,00,00,00,000
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 20,00,00,000 अधिमान शेयर	2,00,00,00,000
इश्यूड, सब्सक्राइब्ड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी:	
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 10,00,00,000 इक्विटी शेयर	100,00,00,000
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 20,00,00,000 अधिमान शेयर	200,00,00,000
योग	**300,00,00,000**

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) का विवरण :

क) **"पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड"** (अंतरिती कंपनी) सार्वजनिक क्षेत्र की सूचीबद्ध कंपनी है जिसका निगमन 16.7.1986 को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था।

ख) नाम परिवर्तन से संबंधित विवरण: लागू नहीं

ग) कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन): एल65910 डीएल1986 जीओआई024862

घ) पर्मानेंट एकाउंट नम्बर (पैन): AAACP1570H (एएएसीपी1570एच)

ङ) कंपनी का पंजीकृत कार्यालय "ऊर्जानिधि", 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली -110001 में स्थित है।

च) अंतरिती कंपनी के लक्ष्य:

अंतरिती कंपनी गैर - बैंकिंग वित्त कंपनी के रूप में पंजीकृत है तथा इसके द्वारा दिनांक 10.2.1998 को भारतीय रिजर्व बैंक से गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (**NBFC**) का अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसका वर्गीकरण दिनांक 28 जलाई**,** 2010 को अवसंरचना वित्त कंपनी के रूप में किया गया है। पावर फाइनेंस कारपोरेश लिमिटेड ऊर्जा क्षेत्र का एक प्रमुख वित्तीय संस्थान एवं गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है जो भारतीय ऊर्जा सेक्टर के विकास के लिए निधि एवं गैर-निधि आधारित सहायता प्रदान करती है। यह कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीयन तथा ऊर्जा एवं सम्बद्ध सेक्टरों के एकीकृत विकास के लिए सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार हैं:-

(i) ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वित्त उपलब्ध करवाना।
(ii) ऊर्जा ट्रांसमिशन एवं वितरण कार्यों के लिए वित्त उपलब्ध करवाना।
(iii) ऊर्जा संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए वित्त उपलब्ध करवाना।
(iv) व्यवस्था सुधार तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए वित्त उपलबध करवाना।
(v) पूंजी उपकरणों इत्यादि के अनुरक्षण तथा मरम्मत के लिए वित्त उपलब्ध करवाना।
(vi) सवेक्षण एवं जांच के लिए वित्त उपलब्ध करवाना ।
(vii) अध्ययनों, योजनाओं एवं अनुभवों के लिए वित्त उपलब्ध करवाना।
(viii) अन्य ऊर्जा स्रोतों के लिए वित्त उपलब्ध करवाना ।
(ix) परामर्शी सेवाओं का प्रोत्साहन करना तथा संगठित करना।
(x) पूंजी उपकरणों के निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध करवाना।
(xi) ऊर्जा परियोजनाओं से भावी एवं पूर्व संबंद्धता वाली परियोजनाओं के लिए वित्त क्रियाकलाप।

संगम ज्ञापन (MoA) तथा संगम अनुच्छेद (AoA) की प्रतियां जांच के लिए उपलब्ध हैं।

छ) 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार अंतरिती कंपनी की प्राधिकृत, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी निम्नानुसार है :-

प्राधिकृत पूंजी :	
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 1000,00,00,000 इक्विटी शेयर	10000,00,00,000
इश्यूड, सब्सक्राइब्ड तथा प्रदत्त शेयर पूंजी:	
10/- रूपए मूल्य प्रत्येक के 264,00,81,408 इक्विटी शेयर	2640,08,14,080
योग	**2640,08,14,080**

iv. **योजना के लक्ष्य तथा औचित्यपरकता**

अंतरक कंपनी अंतरिती कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है तथा इनके द्वारा समान प्रकार के व्यवसाय किए जाते हैं। समान प्रकार के कार्यों को एक स्थान पर समेकित करने के उद्देश्य से एवं अंतरक कंपनी के प्रभावी प्रबंधन के लिए तथा एकल कंपनी के रूप में अंतरिती कंपनी द्वारा विधिक इकाईयों की संख्या कम करके, विधिक एवं विनियामक अनुपालनों की बहुतायत को कम करके, लागतों को औचित्यपरक बनाने सहित समूह संरचना को सुचारू बनाने के लिए अंतरक कंपनी का समामेलन अंतरिती कंपनी में करने का निश्चय किया गया है।

अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी द्वारा किए जाने वाले स्वतंत्र प्रचालनों से लागतों में काफी बढ़ोतरी होती है तथा समामेलन से महत्वपूर्ण स्तर की अत्यधिक बचत संभव हो सकेगी तथा लागत में कमी लाई जा सकेगी। समामेलन से विविध इकाईयों की भागीदारी के कारण उत्पन्न होने वाली बहुपरतीय संरचना तथा प्रबंधकीय परस्परव्याप्तता समाप्त हो सकेगी तथा ऐसा करने से ऐसी दोहरी लागतों से भी बचा जा सकेगा जिनसे होल्डिंग संरचना की वित्तीय कार्यकुशलता प्रभावित होती है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रचालन अत्यधिक लागत कुशल हो सकेंगे। इस योजना के परिणामस्वरूप अंतरिती कंपनी तथा इसके व्यवसायों की सरल निगमित संरचना तैयार हो सकेगी जिससे यह और अधिक कुशलता के साथ पूंजी का उपयोग कर सकेगी तथा अंतरिती कंपनी के भावी विकास के लिए समेकित आधार का निर्माण हो सकेगा।

समामेलन से दोनों कम्पनियों के लक्ष्यों तथा व्यावसायिक रणनीतियों को आगे बढ़ाने में योगदान मिलेगा जो अंतरिती कंपनी से जुड़े व्यवसायों में संवृद्धि, विस्तार और विकास को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। समामेलन से इनके परिणामस्वरूप अंतरिती कंपनी का विकास हो सकेगा और इसे अपने व्यवसायों को और अधिक उपयुक्तता से करने के लिए सुदृढ़ एवं ध्यान केन्द्रित आधार मिल सकेगा। इसके अलावा, यह व्यवस्था प्रबंधन में संकेन्द्रित फोकस, अनुकूलन, प्रबंधन संरचना को संगत बनाने के कार्यतथा नीति परिवर्तनों का निर्बाध कार्यान्वयन करने में कारगर होगी तथा इससे अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कम्पनियों की कार्यकुशलता में संवर्धन एवं नियंत्रण में भी सहायता मिलेगी।

व्यवस्था योजना के अंतर्गत निर्मित सहक्रियाओं से प्रचालनात्मक कार्यकुशलता एवं एकीकृत व्यवसाय क्रियाकलापों में संवर्धन संभव हो सकेगा।

प्रस्तावित व्यवस्था से अंतरिती कंपनी को एकीकरण एवं लोचकता के अपार अवसर प्राप्त होंगे जिससे परिसम्पति आधार, राजस्व, उत्पाद एवं सेवा रेंज के संदर्भ में इस उद्योग में यह अपनी स्थिति सुदृढ़ कर सकेगी।

प्रस्तावित समामेलन से प्राप्त होने वाले अन्य लाभ निम्नानुसार हैं:-

- पूंजी, संसाधनों, परिसम्पतियों एवं सुविधाओं का इष्टतम एवं कार्यकुशल तथा औचित्यपरक उपयोगत;
- वित्तीय संसाधनों सहित प्रतिस्पर्द्धात्मक शक्तियों का संवर्धन;
- सहक्रिया के लाभों की प्राप्ति;
- बेहतर प्रबंधन तथा व्यवसाय विकास की ओर ध्यान केन्द्रण;
- ऊपरी खर्चों, प्रशासनिक, प्रबंधकीय एवं अन्य व्ययों में कमी लाया जाना;
- शेयरहोल्डिंग संरचना को सरल बनाना तथा शेयरहोल्डिंग टायर्स को न्यून करना।

सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे इसके साथ संलग्न योजना के पूरे सार को अच्छी तरह से पढ़ लें जिससे उन्हें इसके प्रावधानों की पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। ऊपर जो बताया गया है वे उक्त योजना की संक्षिप्त विशेषताएं हैं।

v. प्रस्तावित योजना का लेखांकन उपचार अधिनियम के खंड 133 में निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप है। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के संबंध में जारी प्रमाण पत्र जांच के लिए उपलब्ध है।

vi. अधिनियम के प्रावधान 232(2)(ग) के प्रावधानों के अनुसरण में पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) द्वारा अपेक्षित रिपोर्ट को अंगीकार कर लिया गया है तथा यह अनुलग्नक -2 एवं अनुलग्नक-3 पर क्रमशः संलग्न की गई है।

vii. अधिनियम के अध्याय XIV के खंड 210 से 229 के अंतर्गत अथवा 1956 के अधिनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनियों से सम्बद्ध कोई जांच प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की गई है। इसके अलावा, अधिनियम के अंतर्गत अथवा 1956 के अधिनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत कम्पनियों के प्रति कोई प्रक्रिया लम्बित नहीं है।

viii. कम्पनियों की जानकारी के अनुसार उनके प्रति अधिनियम के अंतर्गत अथवा 1956 के अधिनियम के अनुवर्ती प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की वाइंडिंग अप प्रक्रिया फाइल नहीं की गई है अथवा लम्बित नहीं है।

ix. 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरक कंपनी) का लेखा परीक्षित तुलन पत्र अनुलग्नक-4 में संलग्न हैं तथा 31.3.2018 की स्थिति के अनुसार पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) का लेखा परीक्षित तुलन पत्र वित्तीय वर्ष 2017-18 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

x. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) की लेखा बहियों के अनुसार (9.5.2018 की स्थिति) अप्रतिभूतित क्रेडिटटरों को देय राशि क्रमश: 205.28 करोड़ रूपए तथा 2,06,573 करोड़ रूपए है।

xi. पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरक कंपनी) तथा पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) की लेखा बहियों के अनुसार (9.5.2018 की स्थिति) प्रतिभूतित क्रेडिटटरों को देय राशि क्रमश: शून्य तथा 20,407.12 करोड़ रूपए है।

xii. अंतरक कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी(4.5.2018 की स्थिति) 300 करोड़ है जिसमें 10 रूपए मूल्य प्रत्येक के 10 करोड़ इक्विटी शेयर तथा 10 रूपए मूल्य प्रत्येक के 20 करोड़ पूर्णत: परिवर्तनीय अधिमान शेयर हैं। पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतकरक कंपनी) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है तथा अंतरिती कंपनी की सम्पूर्ण शेयरधारिता का धारण प्रत्यक्ष अथवा इसके नामितों के माध्यम से अंतरक कंपनी के नाम पर किया गया है।

xiii. अंतरिती कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (4.5.2018 की स्थिति) 10 रूपए मूल्य प्रत्येक के 2640,08,14,080 इक्विटी शेयर है जिसमें से अंतरिती कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी के 65.91% मूल्य के 174,02,16,107 शेयरों का धारण भारत के राष्ट्रपति के पास है।

xiv. अंतरक कंपनी के निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का विवरण (20.7.2018 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का नाम**	**पता**	**इक्विटी शेयरों की कुल संख्या**	**शेयरों की कुल सं. का %**
1.	श्री राजीव शर्मा	क्यू-8, हौज खास एंक्लेव, नई दिल्ली ।	शून्य	लागू नहीं
2.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	12, मेघा अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेस-1 एक्सटेंशन, दिल्ली -110091.	100	0
3.	श्री नवीन भूषण गुप्ता	110, मधुर जीवन अपार्टमेंट, प्लाट नम्बर 34, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली -110075.	शून्य	लागू नहीं
4.	श्रीमती रचना सिंह	बी-1004 एक्जोटिका एलीगेंस, अहिंसा खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद 201010	NIL	N.A.

xv. अंतरक कंपनी के निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का विवरण (20.7.2018 की स्थिति) निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**निदेशक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का नाम**	**पता**	**इक्विटी शेयरों की कुल संख्या**	**शेयरों की कुल सं. का %**
1.	श्री राजीव शर्मा	क्यू-8, हौज खास एंक्लेव, नई दिल्ली ।	32574	0

2.	श्री चिन्मय गंगोपाध्याय	12, मेघा अपार्टमेंट, मयूर विहार, फेस-1 एक्सटेंशन, दिल्ली -110091.	21488	0
3.	श्री नवीन भूषण गुप्ता	110, मधुर जीवन अपार्टमेंट, प्लाट नम्बर 34, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075.	24584	0
4.	श्री अरूण कुमार वर्मा	ई-203, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110002	शून्य	लागू नहीं
5.	श्री सीताराम पारिक	501, सत्यप्रसाद सीएचएसएल, दीक्षित क्रॉस रोड नं. 1, विले पार्ले (पूर्व), मुम्बई ।	शून्य	लागू नहीं
6.	श्रीमती गौरी चौधरी	1/62 डावर प्लेस, बालीगंज, सर्कस एवेन्यू, कोलकाता, पश्चिम बंगाल -700019	शून्य	लागू नहीं
7.	श्री मनोहर बालवाणी	फ्लैट नं.- 20, पॉकेट-डी, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली - 110085	शून्य	लागू नहीं

xvi. अंतरक कंपनी अंतरिती कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अत: समामेलन के विचार से अंतरिती कंपनी द्वारा अपने कोई शेयर जारी नहीं किए जाएंगे तथा इससे अंतरिती कंपनी की शेयरधारिता के पैटर्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

xvii. **जांच दस्तावेज**

निम्नलिखित दस्तावेज कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा के आयोजन से पूर्व प्रत्येक कार्य दिवस में (शनिवार तथा रविवार के अलावा) प्रात: 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक जांच के लिए उपलब्ध हैं:-

i. अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद की प्रतियां;

ii. 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां;

iii. अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के निदेशकों की शेयरधारिता का रजिस्टर;

iv. अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों के अनुरूप योजना की पुष्टि के लिए जारी क्रमश: दिनांक 18.6.2018 एवं 19.6.2018 के प्रमाण पत्र;

v. अंतरक कंपनी तथा अंतरिती कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा योजना के अनुमोदन के लिए पारित संकल्प की क्रमश: दिनांक 25.08.2017 तथा 29.09.2017 की प्रतियां।

इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा इस नोटिस के क्रम संख्या 7 पर उल्लिखित संकल्प के प्रति विशेष संकल्प के रूप में आपके अनुमोदन की अनुशंसा की गई है।

निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधन कार्मिक अथवा उनके किसी सम्बद्ध का, वित्तीय अथवा अन्यथा, इस संकल्प के पारित होने के प्रति कोई सरोकार अथवा हित, कंपनी में उनकी शेयरधारिता के परिमाण के अलावा, नहीं है।

मद संख्या 3 तथा 5 के अंतर्गत 32वीं वार्षिक आम सभा में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की अपेक्षा करने वाले निदेशकों का विवरण

नाम	**श्री चिन्मय गंगोपाध्याय**	**श्रीमती गौरी चौधरी**
जन्म तिथि तथा आयु	03.04.1959/59	19.02.1942/76
अर्हता	आईआईटी खड़गपुर से इलैक्ट्रानिक इंजीनियरिंग में स्नातक तथा एफएमएस, दिल्ली विश्वविद्यालय से एमबीए	अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर डिग्री
नियुक्ति की तिथि	1.1.2017	3.11.2017
नियुक्ति के नियम तथा शर्तें	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से 5 वर्ष की अवधि के लिए 1 जनवरी, 2017 से सेवानिवृत्ति की तिथि अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक (परियोजना) के पद पर नियुक्ति।	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से 3 वर्ष की अवधि के लिए, नियुक्ति की अधिसूचना की तिथि से आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, स्वतंत्र निदेशक के पद पर नियुक्ति
पारिश्रमिक	भारत के राष्ट्रपति द्वारा ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से नियुक्ति की शर्तों के अनुसार	शून्य
कार्यात्मक क्षेत्रों में अनुभव	उन्हें ऊर्जा सेक्टर में 37 वर्ष तक कार्य करने का अनुभव है, उन्होंने एनटीपीसी, पीएफसी (पीएफसीसीएल सहित) जैसे संगठनों में कार्य किया है। पीएफसी में वे 29 से भी अधिक वर्षो से कार्यरत हैं तथा उन्होंने अनेक परियोजना मूल्यांकन, यूएमपीपी एवं आईटीपी, इक्विटी एवं वित्तीय उत्पाद तथा ऊर्जा सेक्टर के लिए परामर्शी सेवाएं प्रदान की हैं। उन्होनें पीएफसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी पीएफसी कंस्लटिंग लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भी कार्य किया है।	वे अंग्रेजी भाषा में स्नातकोत्तर डिग्री तथा संगीत प्रभाकर (सितार) हैं। वे सामाजिक कार्यकता हैं तथा वे टेलीफोन परामर्शी बोर्ड (टीएसी) की सदस्य एवं फिल्म सेंसर बोर्ड की सदस्य रही हैं।
वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकें की संख्या तथा निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया गया।	12/12	6/6
कंपनी के किसी अन्य निदेशक, प्रबंधक तथा अन्य प्रमुख प्रबंधन कार्मिक से संबंध	शून्य	शून्य
कंपनी के धारित शेयरों की संख्या	21488	शून्य
अन्य कम्पनियों में निदेशक पद का धारण	• पीएफसी कंस्लटिंग लिमिटेड– निदेशक • उड़ीसा इन्टीग्रेटिड पावर लिमिटेड – अध्यक्ष • छत्तीसगढ़ सुरगुजा पावर लिमिटेड -अध्यक्ष • तात्या आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड - अध्यक्ष • पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स प्रा.लि.- निदेशक • पीएफसी कैपिटल एडवाइजरी सर्विसज लिमिटेड - अपर निदेशक • पीएफसी इंडिया लिमिटेड– निदेशक • पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड – अपर निदेशक • पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड - निदेशक	शून्य

सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कम्पनियों की समितियों* में अध्यक्ष /सदस्यता	• पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड - सदस्य, ऑडिट कमेटी एंड स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप एंड शेयरहोल्डर/इन्वेस्टर ग्रिवियेंस कमेटी • पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड– सदस्य, लेखा परीक्षणसमिति	पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड - सदस्य, ऑडिट कमेटी एंड स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप एंड शेयरहोल्डर/इन्वेस्टर ग्रिवियेंस कमेटी

*इसमें ऑडिट कमेटी एंड शेयरहोल्डर ग्रिवियेंस कमेटी के अलावा निदेशक मंडल की अध्यक्षता / सदस्यता शामिल नहीं है।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत
टेलीफोन-: +91 11 23456000, **फैक्स:** +91 11 23412545, **ईमेल**: investorsgrievance@pfcindia.com
वेबसाइट: www.pfcindia.com

उपस्थिति स्लिप

कृपया इस उपस्थिति स्लिप को बैठक हाल में अपने साथ लाएं तथा इसे प्रवेश द्वार पर सौंप दें।

मैं/हम, मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को प्रात:10.30 बजे तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली 110004 में आयोजित की जा रही कंपनी की 32वी **वार्षिक आम सभा** में अपनी उपस्थिति दर्ज करता/करती हूं/ करते हैं ।

क्रमांक :______________

एकल /प्रथम नामित सदस्य का नाम तथा पंजीकृत पता :

संयुक्त सदस्य(सदस्यों) के नाम, यदि कोई हों :

पंजीकृत फोलियो सं./डीपी आईडी/कलाइंट आईडी :

धारित शेयरों की संख्या :

प्रॉक्सी / प्रतिनिधि का नाम :

सदस्य / प्रॉक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

....

धारक का नाम	फोलियो सं./डीपी आईडी/कलाइंट आईडी सं.	शेयरों की संख्या

सदस्यों की जानकारी के लिए

सदस्य कृपया यह नोट करें कि कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अनुसरण में ई-वोटिंग के उद्देश्य से इलैक्ट्रानिक वोटिंग विवरण नीचे दिया जा रहा है। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत निदेश वार्षिक आम सभा के नोटिस में दिए गए हैं।

इलैक्ट्रानिक वोटिंग विवरण

ईवीईएन (ई-वोटिंग इवेंट नम्बर)	यूजर आईडी	पासवर्ड / पिन

नोट : कृपया नोटिस में दिए गए ई-वोटिंग निदेशों का अनुसरण करें।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड
सीआईएन: एल 65910डीएल 1986 जीओआई 024862
ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली - 110001, भारत
टेलीफोन-: +91 11 23456000, **फैक्स:** +91 11 23412545, **ईमेल**: investorsgrievance@pfcindia.com
वेबसाइट: www.pfcindia.com

प्रॉक्सी फार्म

(***कंपनी अधिनियम**, 2013 के खंड 105(6) तथा कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 19(3) के अनुसरण में)*

निम्नलिखित को :

1. नाम:__________________________________ईमेल आईडी:____________________________

   पता:______________________________हस्ताक्षर: ________ आने पर

2. नाम:__________________________________ईमेल आईडी:____________________________

   पता:______________________________हस्ताक्षर: ________ आने पर

3. नाम:__________________________________ईमेल आईडी:____________________________

   पता:______________________________हस्ताक्षर: ________

मेरी / हमारी प्रॉक्सी के तौर पर कंपनी की मंगलवार, दिनांक 11 सितम्बर, 2018 को प्रात:10.30 बजे, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, दिल्ली 110004 में आयोजित की जा रही 32वीं वार्षिक आम सभा में मेरी/हमारी ओर से उपस्थित होने तथा वोट (वोटिंग में) तथा नीचे उल्लिखित संकल्पों से संबंधित स्थगन के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं:

क्र.सं.	संकल्प	**For (पक्ष में)**	**Against (विरोध में)**
साधारण संव्यवहार			
1.	31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित समेकित वित्तीय विवरणों तथा निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं उससे संबंधित लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करने, विचार करने तथा उसे अंगीकार करने के लिए।		
2	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतरिम लाभांश की पुष्टि कुल लाभांश में करने के लिए ।		
3	रोटेशन में सेवानिवृत्त हो रहे तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र एवं पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले श्री चिन्मय गंगोपाध्याय (डीआईएन:02271398) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।		
4	सांविधिक लेखा परीक्षकों के लिए पारिश्रमिक का निर्धारण करना।		
विशेष संव्यवहार			
5.	श्रीमती गौरी चौधरी, 76 वर्षीया, (डीआईएन: 07970522) को कंपनी का निदेशक नियुक्त करना		
6.	निजी प्लेसमेंट आधार पर बांड/डिबेंचर/नोट्स/डेब्ट सिक्योरिटिज जारी करके ₹65,000 करोड़ की निधियों की उत्पति करना।		

7.	पीएफसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (अंतरक कंपनी) का समामेलन पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (अंतरिती कंपनी) तथा उनके शेयरधारकों एवं क्रेडिटरों के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 230-232 के अंतर्गत, जो कारपोरेट कार्य मंत्रालय की दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 582 (ई) तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमों के साथ पढ़ी जानी है, किए जाने की व्यवस्था योजना को अनुमोदन देना।		

दिनांक-----------------माह-------------, 2018 को हस्ताक्षरित

शेयरहोल्डर के हस्ताक्षर रक ,धारकों के हस्ताक्षर

नोट:

1. इस प्रॉक्सी फार्म को प्रभावी बनाने के लिए इसे विधिवत भरकर तथा मोहर लगाकर कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम सभा के आयोजन से कम से कम 48 घंटे जमा करवाया जाना चाहिए।
2. आम सभाओं के साचिविक मानक -2 के उपवाक्य 6.4.1 के अनुसार प्रॉक्सी धारक को बैठक में भाग लेते समय अपनी पहचान प्रमाणित करनी होगी।

<u>तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली 1100014 का रूट मैप</u>